तारीख हुक्म	मु. नं. 78/22 — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11/6/2025	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 26/6/2025 को पेश हो।
26/6/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 5/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० शपथ पत्र PW1 रविन्दर जरिये अधिवक्ता पेश किया जो शा० मि० है। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य बंद किये जाते है। अभि० वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
18/8/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उप० वादपत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 78/2022

1. रामेश्वर पुत्र मौहर सिंह जाति नाई निवासी कुरका तहसील उच्चैन। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. किरनदेई पत्नि मौहर सिंह
3. धर्मजीत पुत्र मौहर सिंह
4. गीता
5. पुष्पा पुत्रीयान मौहरसिंह समस्त जातियान नाई निवासी कुरका तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्र्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय **दिनांकः–18.08.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है आराजी खसरा नम्बर 657 रकवा 1.3000है0 से 3/8 हिस्सा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 5 की वहिस्सा बराबर सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी एवं उक्त सभी प्रतिवादीगण मौके पर शामिल में काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी वादी के पिता मौहरसिंह की छोडी हुई आराजी है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 5 को बहिस्सा बराबर प्रत्येक को 3/40– 3/40 हिस्सा आराजी जरिये विरासतन नामान्तरकरण संख्या 2387 तारीखी 02.02.2008 कैम्प मुकाम कुरका प्राप्त हुई है। पटवारी हल्का ने जमाबन्दी सम्बत् 2062–2065 में मृतक पिता मौहरसिंह पुत्र रामलाल के स्थान पर उसके हम वारिसान का नाम अंकन करते समय सहवन भूल से वादी का नाम अंकन करने से छोड दिया तथा वादी के हिस्सा 3/40 आराजी का अंकन प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 5 के हिस्सों में वहिस्सा बराबर सम्मिलित कर उन्हें प्रत्येक को 3/40 हिस्सा के स्थान पर 3/32–3/32 हिस्सों का खातेदार दर्ज कर उक्त जमाबन्दी के अंकन में गलती कर दी जिसकी जानकारी वादी को के. सी.सी. लोन की पत्रावली तैयार करने के लिये जब दिनांक 25.05.2022 को ली तब हुई एवं उक्त शुद्धि के बाबत् वादी ने जब प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया तो उन्होंने राजस्व रिकार्ड को शुद्ध करने से मना कर दिया जिसके कारण वादी ने उक्त वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तबल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 5 की ओर से श्री गोरधन सिंह धनकर एडवोकेट उपस्थित आये एवं दिनांक 28.04.2025 को प्रति0 संख्या 2 लगा0 5 के द्वारा इकबाल जबाव दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

मृतक मौहरसिंह के वारिसान की जांच की गई मुताबिक जांच मौहर सिंह के पांच वारिसान– रामेश्वर, धर्मजीत पुत्र, पुष्पा, गीता पुत्रीयान एवं किरनदेई पत्नि विधिक वारिसान है एवं मौहरसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2387 से उपरोक्त पांच वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ था जिसका आगामी जमाबंदी में रामेश्वर पुत्र मौहर सिंह का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया था। वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 657 रकबा 1.30है0 में मौहरसिंह के 4 वारिसान दर्ज है। अभिभाषक वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में रामेश्वर के द्वारा शपथ पत्र पेश किया।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी को सुना गया। अभिभाषक वादी के द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरानते हुये वादी रामेश्वर के निहित हिस्सा 3/40 की घोषणा की जाकर तथा इन्तकार विरासत संख्या 2387 तारीखी 02.02.2008 के आधार पर वादी के नाम का अंकन न करने की गलती को शुद्ध कर वादी के नाम का अंकन कराया जाकर वादी को विवादित आराजी में 3/40 हिस्सा का खातेदार दर्ज जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 को प्रत्येक को हिस्सा 3/32–3/32 के स्थान पर उन प्रत्येक को भी 3/40–3/40 हिस्से के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी बाके ग्राम कुरका में कराया जाकर प्रकरण को डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र, शपथपत्र वाद पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, इकबाल जबाव दावा एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। चुंकि वादी मृतक मौहर सिंह का पुत्र है जिसके मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पांच विधिक वारिसान है जिनके नाम नामान्तरकरण सख्या 2387 से पांच वारिसान के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज हुआ था जिसका आगामी जमाबंदी में वादी रामेश्वर पुत्र मौहर सिंह का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया था। चुंकि वादी रामेश्वर मृतक मौहरसिंह का विधिक वारिसान है एवं उसके नाम का अंकन नामान्तरकरण के पश्चात आगामी जमाबंदी में सहवन से दर्ज होने से रह गया था अतः वाद पत्र वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

वादी का वाद पत्र डिकी किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 657/1.30है0 में वादी रामेश्वर को 3/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 657/1.30है0 में प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 का प्रत्येक का हिस्सा 3/32 को कलमजन कर प्रत्येक का हिस्सा 3/40 दर्ज किया जावे एवं वादी को हिस्सा 3/40 का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bharti

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.)

रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुकदमा नं. 78/2022 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हाजिर

व हाजरी श्री उमेशचंद्र शर्मा एडवो मिनजानिब ....

.... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 657/1.30 हैक्टेयर में वादी रामेश्वर को 3/40 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 657/1.30 हैक्टेयर के प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 का प्रत्येक का हिस्सा 3/32 को कम/समायोजन कर प्रत्येक का हिस्सा 3/40 दर्ज किया जावे एवं वादी को हिस्सा 3/40 का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड के अन्दर दर्ज किया जावे

आज........... मुबलिग........... बाबत्...........

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 08 वर्ष 2025 को जारी की गई।

दस्तखत Bharti

ओहदा सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदालय	रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील)पर..........		
महनताना वकील)पर..........			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा					
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 78/2022

1. रामेश्वर पुत्र मौहर सिंह जाति नाई निवासी कुरका तहसील उच्चैन। ....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. किरनदेई पत्नि मौहर सिंह
3. धर्मजीत पुत्र मौहर सिंह
4. गीता
5. पुष्पा पुत्रीयान मौहरसिंह समस्त जातियान नाई निवासी कुरका तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Bharti

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)